

क्रमांक :- एफ( ) FCA/उवसंजउ / 2021-22 / 70  
निमित्त,

दिनांक 06-01-2022

Vishnu Kumar Agarwal,  
D-46-B, Malviya Marg, C-Scheme,  
Jaipur302001

विषय :- जयपुर जिले की तहसील कोटपूतली के ग्राम- दूदावास व बूचारा (वन खण्ड गावडी -68) में क्वार्टरज एवं फैंसपार खनन कार्य हेतु 32.5417 हैक्टर वन भूमि के अनारक्षण के क्रम में।  
सन्दर्भ :- आपके पत्रांक दिनांक 15.11.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके द्वारा जमा कराई गयी पत्रावली का निरीक्षण करने के उपरान्त उक्त प्रस्ताव निम्नलिखित कमियां पायी गई हैं। अतः इनका स्पष्ट प्रत्युत्तर पुनः भिजवाना सुनिश्चित करें:-

1. बिन्दु सं. 1 के क्रम में आप द्वारा जमा कराई गयी पत्रावली में साईट प्लान मैप (GT Sheet map) की प्रति स्पष्ट लगा दी गई है, किन्तु उसका स्केल 1:50000 नहीं है।
2. बिन्दु संख्या 2 के क्रम में आप द्वारा जमा कराई गयी पत्रावली अनुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि हेतु ग्राम बुचारा, तहसील पावटा जिला जयपुर के खसरा नं. 1249/1863 रकबा 13.72 है० भूमि किस्म पहाड का सम्पूर्ण क्षेत्रफल व खसरा नं. 1194 क्षेत्रफल 53.60 है० भूमि किस्म पहाड का आंशिक क्षेत्रफल 18.8217 है० कुल क्षेत्रफल 32.5417 है० भूमि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर में विचाराधीन है। उक्त के क्रम में संलग्न किये गये खसरा नक्शा सत्यापित नहीं है। साथ ही नक्शे में खसरा नं० 1194 स्पष्ट नहीं है। संलग्न जी.टी. शीट पर जियो रेफरेन्स किया हुये मैप में भी अन्तर है। अतः राजस्व नक्शा, जमाबंदी, जी० टी० शीट (1:50000 के स्केल) पर मार्क नक्शा, डिजिटल नक्शा, उसकी के०एम०एल० फाईल व समस्त बिन्दुओं के जी०पी०एस० कॉडिनेट इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करें। साथ ही विचाराधीन समतुल्य गैर वन भूमि का निरीक्षण पहले क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोटपूतली से सामान्जस्य स्थापित कर करवाया जाये।
3. प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न दस्तावेजों/नक्शों पर हस्ताक्षर एवं हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी (खनि विभाग) का नाम, पद व दिनांक अभी भी अंकित नहीं है।
4. प्रस्ताव के साथ संलग्न डिजिटल मैप पर खसरा मैप एक ही शीट (इकजाई शीट) पर सुपर इम्पोज कर जी०पी०एस० कॉडिनेट अंकित कर दिये गये है, किन्तु पूर्ण खसरा बाउन्ड्री नहीं डाली गई है।
5. प्रस्तावित खनन क्षेत्र को इकजाई खसरा शीट पर मार्क कर दिया गया है, किन्तु तीनों ब्लाकों को जोड़ने वाला रास्ता शीट पर अंकित नहीं है।
6. पूर्व में जमा करायी गई पत्रावली के दस्तावेजों पर व उक्त संदर्भित पत्र के साथ जमा कराये गये दस्तावेजों पर आवेदक द्वारा किये गये हस्ताक्षर में भिन्नता है।

अतः उक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं की पूर्ति कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करावें, ताकि प्रकरण में आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्न :- मूल पत्रावली 5 सेट में।

(सुदीप कौर) IFS  
उप वन संरक्षक  
जयपुर (उत्तर)

दिनांक

क्रमांक :- एफ( ) FCA/उवसंजउ / 2020-21 /  
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सहायक वन संरक्षक, कोटपूतली।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी, कोटपूतली को देकर लेख है कि आप प्रस्तावित स्थल का मौका निरीक्षण कर वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें, कि प्रकरण में यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन तो नहीं किया गया है।

उप वन संरक्षक  
जयपुर (उत्तर)